संख्या:415861/2023/वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने विषयक

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र०शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

भाषा (उर्दू) अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 26 अक्टूबर,2023

विषय: उर्दू की वैकल्पिक प्रवीणता परीक्षा वर्ष 2023-2024 के संचालन हेतु प्रथम क़िस्त के रूप में रूपये 1.25 लाख की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 में सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए उर्दू की वैकल्पिक प्रवीणता परीक्षा संपन्न कराने हेतु श्री राज्यपाल महोदय प्रावधानित बजट रू०2,50,000 (रूपये दो लाख पचास हजार मात्र) के सापेक्ष प्रथम क़िस्त के रूप में-1,25,000(रूपये एक लाख पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने एवम व्यय हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त धनराशि शासन के निर्देशानुसार आपके माध्यम से रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षायें, उत्तर प्रदेश,प्रयागराज द्वारा व्यय की जायेगी और परीक्षा सम्बन्धी औपचारिकताओ के पूर्ण होने एवम आवश्यक व्ययों के पश्चात प्रथम क़िस्त की धनराशि का लेखा-जोखा एवम निर्धारित प्रारूप में उपभोग प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत करने के उपरांत दूसरी क़िस्त निर्गत कि जाएगी।

3- उक्त धनराशि पर वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड-5 भाग-1 के अध्याय-16-ए के अंतर्गत निहित प्राविधान लागू होंगे।

4- इस सम्बन्ध में होने वाले व्यय रुपये रू०1,25,000(रूपये एक लाख पच्चीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक **अनुदान सॅख्या** 039 के **लेखा शीर्षक** 2202051020600 राज्य कर्मचारियों को उर्दू की दक्षता परीक्षा पास करने पर पुरस्कार की योजना **मानक मद** 20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

5- ये आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है|

भवदीय,

(जितेंद्र कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवम दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार(जनरल एंड सोशल)सेक्टर ऑडिट,उ०प्र०प्रयागराज।

2- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वित्तीय ,उ०प्र० प्रयागराज।

3- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/ द्वित्तीय,उ०प्र० प्रयागराज।

4- कोषाधिकारी,उ०प्र० प्रयागराज।

5- सचिव,परीक्षा नियामक प्राधिकारी उ०प्र०/रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षायें, उत्तर प्रदेश,प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित कि व्यय विवरण शिक्षा निदेशक (माध्मिक) के माध्यम से शासन को प्रेषित किया जाये।

6- उप शिक्षा निदेशक (उर्दू)उ०प्र०लखनऊ

7- वित्त(व्यय-नियन्त्रण)अनुभाग-7

8- वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1

9- वरिष्ठ मुख्य लेखाधिकारी,शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०,प्रयागराज।

10- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी,उ०प्र० हिन्दी संस्थान,लखनऊ।

11 - भाषा (उर्दू) अनुभाग-4

12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राज बहादुर)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।